

Notar  
13/12/21

16-12-19 नमूना फॉर्म नं. 19  
उपरोक्त स्थान पर  
1407 प्लॉट नं. 21/21  
भरतपुर

उपरोक्त अधिकारी

✍

जारी हुई एक पक्षीय T.I. स्वतः निरस्त समझा जावेगा।  
तली अपार्षी हेतु Registered A.D अन्तर 7 दिवस पेश न करने पर  
दि 07.01.2020 को पेश हो। प्रार्थीया द्वारा आदेशों की पालना में  
अपार्षीणन लिए समन एवं नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. से की जाकर  
07.01.2020 को अदालत हजेरा में उपस्थित होकर पेश करें।  
बनाये रखे। यदि इस आज्ञा बावत कोई आपत्ति हो तो दिनांक  
है पर अपार्षी को पाबंद किया जाता है कि मौक की यथावत स्थिति  
रकबा 86 ऐयर वाकेशन सेवरकला तहसील व जिला भरतपुर में स्थित  
पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1618  
जारी की जाती है कि आगामी तारीख पेशी 07.01.2020 तक प्रार्थना  
अतः आदेश है कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अक्ष की  
प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में किया जाता है।  
नकल व शेष पत्र पेश किया है, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया  
अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में समत 2071-74 की जमाबंदी की  
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पञ्चवली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने  
के वकील की एक पक्षीय बहस अस्थाई निषेधाज्ञा बावत सुनी गई।  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश किया है। प्रार्थी  
प्रार्थी ने मय वकील उपस्थित होकर अपार्षीया के विरुद्ध

नंबर व तारीख  
अहकाम जो इस  
दृश्य की तारीख  
में जारी हुई

दृश्य या कार्यवाही मय इनिशियल्स जो

बलवीरसिंह बजान श्रीमती  
किस्म मुकदमा.....212 आर.टी.ए. नंबर...../2019.....सं.

अन अदालत उप जिला